प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्र. 201/2010

अपीलार्थी/बीमाकर्ता : आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

उत्तरवादीगण/दावेदार : श्रीमती शकुंतला एवं अन्य

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्र. 202/2010

अपीलार्थी/बीमाकर्ता : आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

उत्तरवादीगण/दावेदार : शिव कुमार निषाद एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्र. 204/2010

अपीलार्थी/बीमाकर्ता : आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

उत्तरवादीगण/दावेदार : शिव कुमार निषाद एवं अन्य

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्र. 206/2010

अपीलार्थी/बीमाकर्ता : आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

उत्तरवादीगण : कुमारी सरिता निषाद एवं अन्य

विविध अपील अंतर्गत धारा 173, मोटर यान अधिनियम

एसबी: माननीय श्री न्यायमूर्ति एन के अग्रवाल.

<u>उपस्थित</u> : श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्ता वास्ते अपीलकर्ता।

श्री विकास प्रधान, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी/स्वामी।

श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी/चालक।

श्री विक्रम दीक्षित, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्र. 1 से 3

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्र. 206/10

श्री जे.ए. लोहानी, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्र. 1 से 3

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्र. 201/10

<u>मौखिक आदेश</u>

(पारित दिनांक 13 जुलाई 2010)

1. इस सामान्य आदेश द्वारा, एमए(क्षतिपूर्ति) क्र. 201/10, 202/10, 204/10 तथा 206/10 का निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि इन सभी अपीलों में समान तथ्य एवं विवाद्यक अंतर्वलित हैं और ये सभी एक ही दुर्घटना से उत्पन्न हुए हैं।

2. ये अपीलें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 10.11.2009 को पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसे मुख्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, महासमुंद (संक्षेप में 'अधिकरण') ने पारित किया था। उक्त अधिनिर्णय मृत व्यक्तियों के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'एम.वी. अधिनियम') की धारा 166 के अंतर्गत प्रस्तुत दावों में पारित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दावेदारों के कथनानुसार सभी दावों में यह तथ्य है कि दिनांक 08.10.2008 को मंगतूराम कोशरेया, शांति बाई, मालती बाई एवं सुमरित बाई निषाद (स्वर्गीय) रामलीला देख रहे थे, तभी पिकअप वाहन क्रमांक CG-04-J-7604 के चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी गई, जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा शेष दो व्यक्तियों की बाद में अनेक चोटों के कारण मृत्यु हो गई। उपर्युक्त के अतिरिक्त, उक्त दुर्घटना में अन्य कई व्यक्ति भी चोटग्रस्त हुए।

4. सभी दावा याचिकाओं में दावेदार मृत व्यक्तियों के विधिक प्रतिनिधि/आश्रित हैं। सभी प्रकरणों में दावेदारों ने अपने भरण-पोषणकर्ता की मृत्यु के कारण हुए हानि की भरपाई हेतु प्रतिकर की मांग करते हुए दावा याचिकाएँ दायर की हैं, जो कि संबंधित पिकअप वैन के चालक, स्वामी तथा बीमा कंपनी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

5. दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के चालक जयलाल साहू एकपक्षीय रहे तथा दावा अधिकरण के समक्ष मामले का प्रतिवाद नहीं किया।

6. वाहन के स्वामी अर्थात् मोहित कुमार साहू ने अपना लिखित कथन दायर करते हुए, अन्य बातों के साथ यह अभिवचन किया कि दुर्घटना के समय वाहन अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा बीमित था, और इस कारण बीमा कंपनी प्रतिकर देने की अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकती।

7. अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने भी अपना लिखित कथन दायर किया, जिसमें बीमित को क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व से इनकार करते हुए, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित आधारों पर आपत्ति किया :

   i. दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के चालक के पास ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिसमें परिवहन वाहन का पृष्ठांकन अंकित हो।

   ii. वाहन को मोटरयान अधिनियम की धारा 66 के प्रावधानों के अनुसार वैध परमिट के बिना चलाया जा रहा था।

   iii. वाहन का उपयोग रामलीला के कलाकारों को ले जाने हेतु किया जा रहा था, जो कि अधिनियम तथा बीमा पॉलिसी की शर्तों के अंतर्गत अनुमत नहीं है।

8. अधिकरण ने प्रस्तुत साक्ष्यों, अभिलेखों एवं पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों का गहन परीक्षण करने के उपरांत, दावेदारों के पक्ष में क्रमशः रुपये 2,92,000/-, 2,03,600/-, 2,05,600/- तथा 2,03,600/- की राशि संयुक्त रूप से एवं पृथक-पृथक रूप से अपीलार्थी तथा दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के चालक/स्वामी द्वारा अदा किए जाने हेतु अधिनिर्णीत किया। तथा उक्त राशि पर आवेदन की तिथि से लेकर समस्त भुगतान होने तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा।

9. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.02.2010 में इन अपीलों को इस आधार पर अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए दायर किया, कि संबंधित वाहन एक मालवाहक वाहन था, जिसका उपयोग व्यक्तियों के परिवहन हेतु किया गया, जो बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है; वाहन चालक के पास परिवहन वाहन चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, अतः बीमा कंपनी को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपील की लंबितावस्था के दौरान, दिनांक 18.02.2010 को अपीलार्थी ने आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत व्य.प्र.सं सहपठित, नियम 242(3) अंतर्गत छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम, 1994, एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 22.01.2010 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आर.टी.ओ.), रायपुर (छ.ग.) द्वारा जारी एक दस्तावेज़ को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

11. श्री सौरभ शर्मा, अपीलार्थी/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दृढ़पूर्वक तर्क दिया कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन का उपयोग नि:शुल्क यात्री के परिवहन हेतु किया गया था, जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है, अतः बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। आदेश 41 नियम 27 अंतर्गत व्य.प्र.सं दायर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ से यह स्पष्ट होता है कि चालक का लाइसेंस जाली एवं कूटरचित था। यह तथ्य अपीलार्थी के संज्ञान में उस समय नहीं था जब वाद अधिकरण के समक्ष लंबित था, न ही उक्त दस्तावेज़ अपीलार्थी के पास उस समय उपलब्ध था। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन किया और उसके परिणामस्वरूप यह दस्तावेज़ प्राप्त हुआ। उक्त दस्तावेज़ मामले की जड़ तक जाता है और इसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना न्यायोचित है तथा प्रकरण को पुनः विचारणार्थ वापस भेजा जाना आवश्यक है, जिससे अपीलार्थी को प्रभावी रूप से अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो सके।

12. दूसरी ओर, उत्तरवादिगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दृढ़ता से यह तर्क किया कि मृतक उक्त वाहन में यात्रा नहीं कर रहे थे। प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, दुर्घटना कारित करने वाला वाहन का चालक उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने का दोषी था, जिसके कारण उक्त दुर्घटना हुई और चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज़

दिनांक 22.01.2010 का है। उक्त दस्तावेज़ अपील दायर करते समय प्रस्तुत नहीं किया गया तथा ऐसा कोई आधार न तो अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष और न ही अपील के ज्ञापन में लिया गया। अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा कोई सम्यक तत्परता नहीं दर्शाया गया है। अतः उक्त आवेदन अस्वीकार किया जाना उचित है और परिणामस्वरूप अपील भी निरस्त की जानी चाहिए।

13. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना, और आक्षेपित आदेश तथा अधिकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

14. सबसे पहले हम अपीलार्थी द्वारा दायर की गई वह प्रार्थना–पत्र पर विचार करें, जो व्य.प्र.सं की आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकृत किए जाने हेतु प्रस्तुत दस्तावेज़ इस प्रकार है:

> "कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ़
> क्रमांक 5815/क्षेपअ/2009 रायपुर कोमा दिनांक 22.1.2010
> प्रति,
> श्री देवेंद्र सिंह सलूजा,
> अधिवक्ता,
> डी-60, सेक्टर-5, जयसवाल नर्सिंग होम के पीछे,
> देवेंद्र नगर, रायपुर।
>
> विषय-सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी बाबत।
>
> संदर्भ-आपका आवेदन प्राप्ति दिनांक 21.08.09
>
> उपरोक्त विषयों के संबंध में लेख है कि आपके द्वारा सूचना का अधिकार 2005 के तहत चाह गया चालान अनुज्ञप्ति क्र.-जे/389/आर/96 जारी दि. 13.11.96 तथा लाइसेंस धारक जय लाल साहू का लाइसेंस इस कार्यालय द्वारा निरस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान पाया गया कि उक्त चालक अनुज्ञप्ति कार्यालयीन अभिलेखानुसार जारी होना नहीं पाया गया।
>
> सही
> जनसूचना अधिकारी एवं
> क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
> रायपुर छत्तीसगढ़"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अपीलार्थी ने ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति दाखिल नहीं कीया है, अतः विचाराधीन दस्तावेज़, यदि उसे उसके वास्तविक रूप में ही लिया जाए, तो यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन का चालक ने वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखा था। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त दस्तावेज़ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.01.2010 को प्राप्त किया गया था, परन्तु इसे अपील के ज्ञापन के साथ दायर नहीं किया गया। लिखित कथन में अपीलार्थी द्वारा लिया गया एकमात्र प्रतिरक्षा यह था कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के चालक ने ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखा था जो उसे

परिवहन वाहन चलाने के लिए आप सक्षम बनाता। कहीं भी यह नहीं कहा गया कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन का चालक वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखता था अथवा उसके पास जाली एवं कूटरचित लाइसेंस था।

16. मामले में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता/बीमा कंपनी ने दावा-कर्ताओं द्वारा परीक्षित किसी भी गवाह से तथा वाहन स्वामी से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा है और न ही उसके अपने गवाह ने चालक के लाइसेंस की अवैधता के संबंध में कोई बयान दिया है। यहाँ तक कि उपर्युक्त जाली एवं कूटरचित लाइसेंस से संबंधित आपत्ति को भी अपील पत्र में आधार के रूप में नहीं लिया गया है।

17. व्य.प्र.सं(CPC) के आदेश 41 नियम 27 का पाठ निम्नलिखित है:

"आदेश 41: मूल निर्णयों से अपीलें

27.अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य की पेशी

(1) अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे मौखिक हों या दस्तावेज़ी, प्रस्तुत करने के स्वत्वाधिकारी नहीं होंगे। किन्तु—

(a) जिस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है, उसने वह साक्ष्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए था; या

[(aa) अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह प्रमाणित करता है कि सम्यक तत्परता करने के बावजूद, ऐसा साक्ष्य उसके ज्ञान में नहीं था या सम्यक तत्परता के पश्चात भी उसे उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, जब वह डिक्री, जिसके विरुद्ध अपील की गई, पारित किया गया था; या]

(b) अपील न्यायालय को निर्णय सुनाने के लिए कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने या किसी गवाह को परीक्षण के लिए बुलाने की आवश्यकता हो, या किसी अन्य सारवान् हेतुक,

अपील न्यायालय ऐसे साक्ष्य या दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने या गवाह की परीक्षण करने की अनुमति दे सकता है।

(2) जहाँ भी अपील न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है, न्यायालय को इसके स्वीकार करने का कारण रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. सामान्य नियम यह है कि प्रायः अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से बाहर नहीं जाना चाहिए और न ही अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे मौखिक हो या दस्तावेज़ी, को स्वीकार करना चाहिए। परंतु व्य.प्र.सं(CPC) की धारा 107 इस सामान्य नियम का एक अपवाद निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत अपीलीय न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है अथवा ऐसे साक्ष्य लिए जाने का निर्देश दे सकता है, बशर्ते कि आदेश 41 नियम 27 CPC के अंतर्गत निर्धारित शर्तों और सीमाओं का पालन किया जाए। तथापि, अतिरिक्त साक्ष्य तभी स्वीकार किए जा सकते हैं जब उक्त नियम में उल्लिखित परिस्थितियाँ विद्यमान हों। वे परिस्थितियाँ जिनमें अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इस प्रकार हैं—

i. वह न्यायालय, जिसकी डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है, ने ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए था।

ii. वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, यह सिद्ध करता है कि सम्यक तत्परता करने के बावजूद ऐसा साक्ष्य उसके ज्ञान में नहीं था अथवा सम्यक तत्परता करने के बाद भी वह इसे उस समय प्रस्तुत नहीं कर सका, जब वह डिक्री पारित की गई थी जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

iii. अपीलीय न्यायालय को निर्णय सुनाने हेतु अथवा किसी अन्य सारवान् हेतुक यदि किसी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करना आवश्यक प्रतीत होता है या किसी साक्षी की जाँच आवश्यक होती है।

19. वर्तमान मामले में, न तो वह दस्तावेज़ जिसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया है, और न ही इस न्यायालय को निर्णय सुनाने के लिए अथवा किसी अन्य सारवान् हेतुक की आवश्यकता है। एकमात्र आधार यह लिया गया है कि अपील में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़ उनके ज्ञान में नहीं था, यद्यपि सम्यक तत्परता करने के बावजूद, उस समय जब वह अधिनिर्णय पारित हुआ था जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

20. अब, जैसा कि पूर्व में विचार-विमर्श किया गया है, भले ही उक्त दस्तावेज़ अभिलेख पर ले लिया जाए, तथापि यह पर्याप्त नहीं होगा इस प्रतिरक्षा को सिद्ध करने के लिए कि दुघटना कारित करने वाला वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तथा वाहन स्वामी ने पॉलिसी की शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए उक्त चालक को बिना वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. दस्तावेज़ों की विषयवस्तु भी इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि यह उसी चालक जयलाल से संबंधित है जो दुर्घटना कारित करने वाला वाहन चला रहा था। इसके अतिरिक्त, न तो इस प्रकार की कोई दलील प्रस्तुत की गई है और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, तथा न ही अपीलार्थी द्वारा किसी साक्षी से इस आधार पर प्रतिपरीक्षण किया गया है कि चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

22. यह अतिसामान्य विधि है कि अपने प्रतिरक्षण को सिद्ध करने का दायित्व अपीलार्थी/बीमा कंपनी पर होता है, जिसके लिए अपीलार्थी को अपने जवाब में विनिर्दिष्ट आधार लेनी चाहिए थी तथा उसके समर्थन में प्रभावशाली एवं संदृढ़न साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे। केवल इस आधार पर कि अपीलीय स्तर पर यदि किसी दस्तावेज़ को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए और उससे अपीलार्थी को अपने प्रतिरक्षण में कुछ हद तक सहायता मिल जाए, यह उस दस्तावेज़ को अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का पर्याप्त आधार नहीं होगा।

23. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय के विचारानुसार, अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा दायर की गई आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 व्य.प्र.सं, उक्त आदेश 41 नियम 27 व्य.प्र.सं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है तथा यह अस्वीकृति योग्य है और इसे एतद्द्वारा अस्वीकृत किया जाता है।

24. यद्यपि श्री शर्मा ने अपील के ज्ञापन में लिए गए अन्य आधारों पर विशेष जोर नहीं दिया है, तथापि इतना कहना पर्याप्त होगा कि साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना के समय न तो रामलीला के

कलाकार और न ही मृतक, दुर्घटना कारित करने वाला वाहन में बैठे हुए थे। अपीलार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन का प्रयोग पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए किया गया था, अर्थात् उसे निशुल्क यात्रियों को ले जाने हेतु प्रयुक्त किया गया था। अतः अन्य आधार को भी अधिकरण द्वारा उचित रूप से अस्वीकार किया गया है।

25. उपरोक्त वर्णित कारणों से, मुझे अपीलों में कोई सार नहीं प्रतीत होता। अपीलें सारहीन होने कि वजह से खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

26. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

सही/–
एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By .....Shreyas Nayak (Advocate).....